"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2018—श्रावण 26, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक ई-1-16/2004/1/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/23/2018-एआईएस (I) दिनांक 26-06-2018 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (2) के अंतर्गत डॉ. नितिन गौर, भा.प्र.से. (सीजी : 2016) की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्रमांक/5623/एफ-05-04/बीज/2016-17/14-2.—बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य बीज उप समिति की अनुशंसा पर, राज्य सरकार, एतदद्वारा, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, बिलासपुर को राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में घोषित करती है, जहां उक्त अधिनियम के अधीन बीज विश्लेषकों द्वारा किसी भी प्रकार या किस्म के बीजों का विश्लेषण, बीज नियम तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा.

राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि संचालक कृषि, संयुक्त संचालक कृषि, बिलासपुर संभाग तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि, प्रयोगशाला अथा इसके कार्यकलापों के समय-समय पर निरीक्षण/जांच करने तथा आवश्यक निर्देश देने के लिए प्राधिकृत होंगे.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे.

No. 5623/F-05-04/Seed/2016-17/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Seeds Act, 1966 (No. 54 of 1966) and on recommendation of State Seed Sub-Committee, the State Government, hereby, declares the Seed Testing Laboratory Bilaspur as a State Seed Testing Laboratory where analysis of seeds of any notified kind or variety as per seed Rules and instruction issued from time to time by the State Government shall be carried out by the seed analysts under the said Act;

The State Government also declares that the Director of Agriculture, Joint Director of Agriculture, Bilaspur Division and representative of State Government would be authorized to inspect/enquire from time to time into laboratory or its working and give necessary instruction.

This notification will come into force with effect from its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.